



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर

सीमती पानी देवी बनाम श्रीमती सुशीला चव्हाण

किस्म मुकदमा

1/5 212 RTA-

मु0न0 59/11 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
10-12-19	<p>पार्थिया श्रीमती पानी देवी पालन स्कू की करके विद्दो द्वारा दि. 05-12-19 को प्रपत्र वापस विद्दो लिये जाने वार/प्रपत्र तथा आज शपथ पत्र पुस्तुत करने पर यह पत्रावली तलब की गई। पार्थिया स्वयं उपस्थित। पार्थिया ने कथन किए कि मैं कट स्थान प्रपत्र भागे चलावा नहीं चाही हूँ व इस पर कार्यवाही खत्म करना चाही हूँ। पार्थिया को पार्थिया पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिन्हेने अल्ट्रा निषेधाज्ञा के प्रपत्र पर भागे कोई कार्यवाही नहीं नाहके पर सहमति जाहिर की। उक्त आशय की अंगूठा निशानी पार्थिया ने अंकित की तथा इनके पुत्र श्री मदनसिंह ने गावाड के कप में इस्ताफर लिखे। पत्रावली का भवलोका न किया गया तो पाया कि पुनरुक्त अंगी पारंगिक बावस्था में है तथा लोक अराजत बनी भावना से यह पुस्तुत विद्दो प्रपत्र अल्ट्रा निषेधाज्ञा के प्रपत्र विद्दो की सीमा तक रसीकार किया जाता है तथा अल्ट्रा निषेधाज्ञा के पुनरुक्त पर कार्यवाही इसी वनार पत्र ड्राप बनी जाती है। पत्रावली फासल सुधार होकर नम्वर से निक ही।</p> <p>(जसमीतसिंह संघु) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर</p>	<p>मकवाड जसमीतसिंह मदनसिंह (पुत्र)</p> <p>र.त. पानी देवी</p>

